राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार
9वां तल–ए विंग, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली

तारांकित/अतारांकित : **अतारांकित**

प्रश्न संख्या : **200**

दिनांक : **26.08.2019**

प्रश्नकर्त्ता का नाम : **श्री मनजिंदर सिंह सिरसा**

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

	प्रश्न	उत्तर
क)	ई–सिगरेट को लेकर सरकार की क्या नीति है;	दिल्ली सरकार ई–सिगरेट के नियमन एवं स्कूली बच्चों, अन्य विभागों एवं आम जनता की जागरूकता के लिए कार्य कर रही है, हालांकि ई–सिगरेट का मामला माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है । अतः माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी ।
ख)	क्या यह सत्य है कि सरकार ने ई–सिगरेट से जुड़े उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का वायदा किया था;	जी हां, सरकार ने ई–सिगरेट से जुडे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक एफिडेविट जमा किया था ।
ग)	क्या यह भी सत्य है कि अब सरकार इस पर पुनर्विचार कर इसे नियमन के दायरे में लाने पर विचार कर रही है;	जी हां, अब एक और नए एफिडेविट के द्वारा इस पर नियमन करने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जो कि उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।
घ)	यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें; और	कानून (ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940) में स्पष्टता नहीं है कि ई–सिगरेट में उपयोग होने वाला निकोटीन औषधी (drug) है या नहीं, जिसके लिए भारत सरकार से भी पत्राचार किया जा रहा है ।
ङ)	क्या सरकार युवाओं और स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर ई–सिगरेट के प्रभाव को लेकर कोई अध्ययन कराने पर विचार कर रही है ?	वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाईजेशन (WHO) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अध्ययन में ई–सिगरेट्स के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव प्रमाणित हैं, परन्तु दिल्ली सरकार में फिलहाल ऐसा कोई अध्ययन विचाराधीन नहीं है ।

(संजीव खिरवार)
प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

SANJEEV KHIRWAR, IAS
PRINCIPAL SECRETARY
Health & Family Welfare Deptt.
Govt. of NCT of Delhi
9th Level, Delhi Sectt., New Delhi